संख्या– 35/ /VI(1)/2011–2(12)2006

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(12)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, (सम्बन्धित जनपद)
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 03 मार्च, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जिला योजना की चालू/नई योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–438/2–6–215 (जिला योजना)/2010–11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जिला योजना की चालू/नई योजनाओं हेतु निम्नानुसार जनपदवार ₹ 160.00 लाख (₹ एक करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :– **(धनराशि लाख ₹ में)**

क0 सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	पौड़ी	5.00	5.00
2	चमोली	36.20	35.00
3	रूद्रप्रयाग	17.00	17.00
4	उत्तरकाशी	32.00	31.40
5	टिहरी	21.00	21.00
6	देहरादून	17.60	17.60
7	अल्मोड़ा	15.00	15.00
8	बागेश्वर	8.00	8.00
9	नैनीताल	10.00	10.00
	योगः–	**161.80**	**160.00**

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार आवंटित परिव्यय के अनुसार ही निर्गत किया जायेगा। धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा।

5–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

..2

(7)

6–एक मुश्त रखी जा रही धनराशि का उपयोग सभी जनपदों के नये/चालू निर्माण हेतु किया जायेगा एवं इस प्रकिया में जनपदवार स्वीकृत परिव्यय के अन्तर्गत ही कुल स्वीकृति निर्गत की जायेगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चालू योजनाओं को शीर्षप्राथमिकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।
7–जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।
8–सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला पर्यटन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डो में ही किया जाय तथा धनराशि के उपयोग के बाद लाभान्वित ग्रामों की सूची समाज कल्याण विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाय।
9–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
10–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना (चालू/नई योजनायें)–00–24–बृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
11–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–844/XXVII(2)/2011, दिनांक 25 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 351 /VI(1)/2011–2(12)2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– निदेशक, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
9– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

23306